नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 142
दि. 24.02.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

डिजिटल निजता की जीत: सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के आगे झुकी टेक कंपनियां, अब बिना अनुमति नहीं होगा डेटा साझा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। डिजिटल युग में नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा को लेकर एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाते हुए भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तकनीकी कंपनी को यूजर्स की सहमति के बिना उनका डेटा साझा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस सख्त रुख के बाद मेटा और उसकी सहयोगी कंपनी व्हाट्सएप ने अदालत के समक्ष यह घोषणा की कि वे अब यूजर्स की स्पष्ट अनुमति के बिना उनकी निजी जानकारी को विज्ञापन या किसी अन्य व्यावसायिक उद्देश्य के लिए साझा नहीं करेंगे। इस फैसले को देश में डिजिटल निजता की दिशा में एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में देखा जा रहा है, जिसने करोड़ों इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को एक मजबूत कानूनी सुरक्षा प्रदान की है।

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल थे, ने सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट संकेत दिया कि नागरिकों के निजता अधिकार के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। अदालत ने विशेष रूप से उन उपयोगकर्ताओं की चिंता व्यक्त की, जो तकनीकी रूप से अधिक जागरूक नहीं हैं और अनजाने में अपनी निजी जानकारी साझा कर देते हैं। न्यायालय ने इन्हें "साइलेंट कस्टमर्स" कहा और इस वर्ग की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म

पर निर्भरता बढ़ने के साथ कंपनियों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, और वे केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की अनदेखी नहीं कर सकतीं।

सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को आश्वस्त किया कि कंपनी ट्रिब्यूनल और नियामक संस्थाओं के निर्देशों का पालन करेगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक बदलाव लागू कर दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के विश्वास को बनाए रखना है और वह किसी भी ऐसे कदम से बचना चाहती है, जिससे यूजर्स की निजता पर आंच आए। इस आश्वासन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों की स्थगन की मांग को खारिज कर दिया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि मुख्य अपील पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है।

यह मामला उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी नीति को लेकर गंभीर आपत्तियां जताई थीं और कंपनी पर 213.14 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया था। आयोग का मानना था कि कंपनी ने अपनी प्रमुख स्थिति का लाभ उठाते हुए यूजर्स को डेटा साझा करने के लिए मजबूर किया और उन्हें स्पष्ट विकल्प नहीं दिया। आयोग ने यह भी कहा था कि इस तरह की नीतियां बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करती हैं और उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आयोग को व्हाट्सएप की प्राइवेसी नीति की विस्तृत समीक्षा करने और अपनी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

इस पूरे घटनाक्रम ने डिजिटल दुनिया में डेटा सुरक्षा और निजता के महत्व को एक बार फिर सामने ला दिया है। आज के समय में मोबाइल एप्लिकेशन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। लोग अपने निजी संवाद, फोटो, वीडियो और कई संवेदनशील जानकारियां इन प्लेटफॉर्म्स पर साझा करते हैं। ऐसे में यदि यह जानकारी बिना अनुमति के किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाए, तो यह न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक नुकसान का कारण भी बन सकती है।

अदालत ने यह भी संकेत दिया कि तकनीकी कंपनियों द्वारा बनाई गई जटिल और लंबी प्राइवेसी नीतियां अक्सर उपयोगकर्ताओं को भ्रमित करती हैं। अधिकांश लोग बिना पूरी जानकारी पढ़े ही "स्वीकार करें" पर क्लिक कर देते हैं, जिससे कंपनियों को उनकी जानकारी का उपयोग करने की अनुमति मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और सरल होनी चाहिए, ताकि हर उपयोगकर्ता यह समझ सके कि उसकी जानकारी का उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सहमति का अर्थ केवल औपचारिक स्वीकृति नहीं, बल्कि जागरूक और स्वेच्छा से दी गई अनुमति होना चाहिए।

इस फैसले का प्रभाव केवल व्हाट्सएप या मेटा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह सभी डिजिटल कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। अब कंपनियों को अपनी नीतियों को अधिक पारदर्शी और उपयोगकर्ता-हितैषी बनाना होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की निजी जानकारी का उपयोग न किया जाए। यह निर्णय डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मतदाता सूची की महाशुद्धि से बदली लोकतंत्र की तस्वीर, 97 लाख से अधिक नाम हटाकर चुनाव आयोग ने बढ़ाई पारदर्शिता

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का सबसे बड़ा आधार उसकी निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया है, और इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत का चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इस व्यापक और अभूतपूर्व प्रक्रिया के तहत राज्य की मतदाता सूची से 97.37 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं, जिससे यह अभियान देश के चुनावी इतिहास में सबसे बड़े 'सुपर क्लीनिंग' ऑपरेशन के रूप में देखा जा रहा है। इस कदम का उद्देश्य केवल संख्या कम करना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को वास्तविक, सटीक और विश्वसनीय बनाना है, ताकि लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हो सकें।

राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक द्वारा जारी इस सूची के अनुसार अब तमिलनाडु में कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 5,67,07,380 रह गई है। इसमें 2,77,38,925 पुरुष मतदाता, 2,89,60,838 महिला मतदाता और 7,617 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। इससे पहले विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 6.41 करोड़ थी। इस प्रकार लगभग 8 प्रतिशत मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जो इस अभियान की व्यापकता और गंभीरता को दर्शाता है। यह केवल आंकड़ों का बदलाव नहीं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

चुनाव आयोग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि हटाए गए नामों में बड़ी संख्या उन मतदाताओं की है, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उनके नाम अभी भी सूची में बने हुए थे। इसके अलावा ऐसे मतदाता भी शामिल थे, जिन्होंने स्थायी रूप से अपना निवास स्थान बदल लिया था या जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज थे। इस प्रकार के डुप्लिकेट और निष्क्रिय नाम चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता को प्रभावित कर सकते थे, इसलिए उन्हें हटाना आवश्यक था। इस अभियान के जरिए यह सुनिश्चित किया गया कि केवल वही व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल हों, जो वास्तव में मतदान के पात्र और सक्रिय नागरिक हैं।

इस पुनरीक्षण प्रक्रिया में नए मतदाताओं को जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया गया। 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 7.40 लाख नए मतदाताओं को सूची में शामिल किया गया है, जो यह दर्शाता है कि लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। यह नई पीढ़ी न केवल मतदान के अधिकार का उपयोग करेगी, बल्कि देश और राज्य की नीतियों को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चुनाव आयोग का यह प्रयास लोकतंत्र को अधिक समावेशी और प्रतिनिधिक बनाने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।

मतदाता सूची के इस व्यापक पुनरीक्षण में पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप पूरी की गई, जिसमें यह अनिवार्य किया गया था कि हटाए गए नामों के कारणों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए। इसके तहत ग्राम पंचायत कार्यालयों, वार्ड कार्यालयों, तालुक और उप-मंडल कार्यालयों सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर सूचियां प्रदर्शित की गईं। इससे प्रभावित नागरिकों को अपनी आपत्ति दर्ज करने और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर मिला। इस पारदर्शी प्रक्रिया ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम अनुचित तरीके से न हटाया जाए।

चुनाव आयोग का यह अभियान केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसी तरह की पुनरीक्षण प्रक्रिया अपनाई गई। विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण के दौरान नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लगभग आठ प्रतिशत मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। यह दर्शाता है कि चुनाव आयोग देशभर में मतदाता सूची को अद्यतन और सटीक बनाने के लिए एक व्यापक और समन्वित रणनीति पर काम कर रहा है। पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी हाल ही में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या 9,44,211 दर्ज की गई।

यह अभियान लोकतंत्र की गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मतदाता सूची में मृत, डुप्लिकेट या निष्क्रिय मतदाताओं के नाम बने रहते हैं, तो इससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। इसके अलावा इससे फर्जी मतदान की आशंका भी बढ़ सकती है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। चुनाव आयोग द्वारा किया गया यह 'सुपर क्लीनिंग' अभियान इन सभी संभावित समस्याओं को रोकने की दिशा में एक प्रभावी उपाय साबित हो सकता है।

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अंतिम सूची जारी होने के बाद भी यदि कोई नागरिक पात्र है और उसका नाम सूची में नहीं है, तो वह आवेदन कर सकता है। इसी तरह यदि किसी नाम को गलती से शामिल किया गया है या हटाया गया है, तो उसे भी सुधारने का प्रावधान मौजूद है। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया गया है कि मतदाता सूची हमेशा अद्यतन और सटीक बनी रहे।

इस पूरे अभियान ने यह संदेश भी दिया है कि भारत का चुनाव तंत्र केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह लोकतंत्र की शुद्धता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत है। चुनाव आयोग की यह पहल यह दर्शाती है कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में भी चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाए रखना संभव है, यदि इसके लिए ठोस और संगठित प्रयास किए जाएं।

तेजस फाइटर जेट सुरक्षित, क्रैश की खबरें निराधार: एचएएल

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता के प्रतीक और स्वदेशी तकनीक से निर्मित लड़ाकू विमान तेजस को लेकर हाल ही में सामने आई क्रैश की खबरों पर विराम लगाते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने स्पष्ट किया है कि यह दावा पूरी तरह भ्रामक और तथ्यों से परे है। कंपनी ने साफ शब्दों में कहा कि विमान के साथ कोई हवाई दुर्घटना नहीं हुई थी और इसे क्रैश कहना वास्तविकता से परे है। एचएएल ने बताया कि यह केवल एक सीमित तकनीकी गड़बड़ी थी, जो जमीन पर लैंडिंग के दौरान सामने आई और जिसे सुरक्षा मानकों के अनुसार नियंत्रित कर लिया गया। एचएएल के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि तेजस जैसे आधुनिक और उन्नत लड़ाकू विमान में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है और इसकी हर गतिविधि बहु-स्तरीय निगरानी प्रणाली के अंतर्गत होती है। जिस घटना को लेकर क्रैश की खबरें सामने आईं, उसमें विमान के ब्रेक सिस्टम में तकनीकी समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से थोड़ा आगे निकल गया। हालांकि पायलट ने अत्यंत दक्षता और प्रशिक्षण का परिचय देते हुए सभी आवश्यक सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया और सुरक्षित बाहर निकल गया। इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि या गंभीर क्षति नहीं हुई, जो इस बात का प्रमाण है कि विमान

की सुरक्षा प्रणाली और पायलट की दक्षता पूरी तरह प्रभावी थी। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि आधुनिक सैन्य विमानों में तकनीकी परीक्षण और जांच एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। जब भी किसी प्रकार की तकनीकी असामान्यता सामने आती है, तो उसे गंभीरता से लिया जाता है और विस्तृत जांच की जाती है। इसी क्रम में एचएएल ने भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर पूरे मामले की तकनीकी जांच शुरू कर दी है, ताकि समस्या के वास्तविक कारण का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति को पूरी तरह रोका जा सके।

सूत्रों के अनुसार, एहतियात के तौर पर तेजस के पूरे बेड़े की तकनीकी समीक्षा और निरीक्षण किया जा रहा है। यह कदम किसी खतरे के कारण नहीं, बल्कि सुरक्षा मानकों के अनुरूप एक सतर्कता प्रक्रिया के तहत उठाया गया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की जांच और परीक्षण किसी भी आधुनिक वायुसेना का सामान्य हिस्सा होते हैं, जिससे विमानों की विश्वसनीयता और सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। तेजस भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हल्का लड़ाकू विमान है, जिसे देश की रक्षा अनुसंधान और निर्माण क्षमता का प्रतीक माना जाता है। इस विमान को अत्याधुनिक एवियोनिक्स, डिजिटल फ्लाई-बाय-वायर नियंत्रण प्रणाली, उन्नत रडार, आधुनिक हथियार प्रणाली और उच्च गतिशीलता जैसी विशेषताओं से लैस किया गया है। तेजस का निर्माण भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता के मिशन का एक महत्वपूर्ण चरण है और यह देश की सामरिक शक्ति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

एचएएल ने यह भी कहा कि तेजस का सुरक्षा रिकॉर्ड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत मजबूत रहा है और इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित हल्के लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। कंपनी ने भरोसा दिलाया कि विमान के डिजाइन, परीक्षण और संचालन के दौरान अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन किया जाता है और हर संभावित जोखिम को पहले ही पहचानकर उसका समाधान किया जाता है।

रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि स्वदेशी रक्षा तकनीक को लेकर अक्सर अफवाहें और भ्रामक सूचनाएं सामने आती हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि तेजस जैसे विमान भारत की तकनीकी क्षमता और वैज्ञानिक प्रगति का प्रमाण हैं। इस घटना ने यह भी साबित किया कि भारत की रक्षा प्रणाली और सुरक्षा तंत्र पूरी तरह सक्षम है और किसी भी तकनीकी चुनौती का प्रभावी समाधान करने में सक्षम है।

एचएएल ने जनता और मीडिया से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और अपुष्ट खबरों से बचें। कंपनी ने आश्वासन दिया कि तेजस पूरी तरह सुरक्षित और विश्वसनीय है और आने वाले समय में यह भारतीय वायुसेना की ताकत को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। यह घटना किसी संकट का नहीं, बल्कि सुरक्षा और सतर्कता की मजबूत प्रणाली का प्रमाण है, जो भारत की रक्षा तैयारियों को और अधिक विश्वसनीय बनाती है।

'प्रहार' के जरिए आतंकवाद पर निर्णायक चोट की तैयारी गृह मंत्रालय ने पेश की देश की पहली समग्र एंटी-टेरर नीति

(जीएनएस)। नई दिल्ली। बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और तकनीकी रूप से अधिक जटिल होते आतंकी खतरों के बीच केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अपने रुख को और स्पष्ट तथा संस्थागत रूप देते हुए 'PRAHAAR' नाम से देश की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद-विरोधी नीति जारी की है। भारत का गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस नीति का उद्देश्य केवल हमलों के बाद प्रतिक्रिया देना नहीं, बल्कि खुफिया जानकारी, समन्वय और पूर्व-निरोधात्मक रणनीति के आधार पर आतंकवाद को जड़ से कमजोर करना है। आठ पृष्ठों में तैयार यह दस्तावेज एक ऐसे ढांचे की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता, तकनीकी निगरानी, वित्तीय नेटवर्क पर प्रहार और समाज की भागीदारी को एकीकृत किया गया है।

नीति में स्पष्ट किया गया है कि भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है और किसी भी प्रकार के आतंकी कृत्य को धार्मिक, वैचारिक या जातीय आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह रुख केवल राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि सुरक्षा तंत्र के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में स्थापित किया गया है। दस्तावेज में कहा गया है कि आतंकवाद का लक्ष्य भय पैदा कर लोकतांत्रिक संस्थाओं और सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करना होता है, इसलिए उसका जवाब भी बहु-स्तरीय और समन्वित होना चाहिए। नीति का मूल उद्देश्य भारतीय नागरिकों, राष्ट्रीय हितों और महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, साथ ही खतरे की प्रकृति के अनुसार तेज, संतुलित और कानूनी रूप से वैध कार्रवाई करना है।

'प्रहार' में सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल को प्राथमिकता दी गई है। खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने

के लिए मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) की भूमिका को और सशक्त करने की बात कही गई है। यह केंद्र विभिन्न सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बीच रियल-टाइम सूचना साझा करने का काम करता है। इसके साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधीन कार्यरत जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस (JTFI) को जमीनी स्तर पर समन्वित कार्रवाई के लिए अहम बताया गया है। नीति में कहा गया है कि आतंकवाद से निपटने के लिए केवल सूचना जुटाना पर्याप्त नहीं, बल्कि समयबद्ध और संयुक्त प्रतिक्रिया भी उतनी ही जरूरी है। नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू 'पूरे समाज की भागीदारी' का दृष्टिकोण है। इसमें यह स्वीकार किया गया है कि कट्टरपंथ और उग्रवाद अक्सर सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारणों से पनपते हैं। इसलिए केवल सुरक्षा बलों की कार्रवाई से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं। दस्तावेज में मानवाधिकारों और कानून के शासन के पालन पर जोर देते हुए कहा गया है कि आतंकवाद से लड़ते समय लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता नहीं किया जाएगा। इससे यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना नीति का अभिन्न हिस्सा है।

इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग ने आतंकवादी संगठनों को नई रणनीतियां अपनाने का अवसर दिया है। नीति में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि आतंकी संगठन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग भर्ती, प्रचार, संचार और फंडिंग के लिए करते हैं। डार्क वेब, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से लेनदेन जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए तकनीकी क्षमता को उन्नत किया जा रहा है। ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क को तोड़ने और आतंकी वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के लिए वित्तीय खुफिया इकाइयों और साइबर विशेषज्ञों की भूमिका को भी सुदृढ़ किया गया है।

'प्रहार' में यह भी स्वीकार किया गया है कि भारत को समुद्र, थल और वायु—तीनों आयामों में सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सीमाओं की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक, निगरानी ड्रोन, रडार और स्मार्ट फेंसिंग जैसे उपायों को बढ़ावा दिया जा रहा है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे बिजली संयंत्र, रेलवे नेटवर्क, हवाई अड्डे, बंदरगाह, रक्षा प्रतिष्ठान, अंतरिक्ष संस्थान और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इन क्षेत्रों में जोखिम मूल्यांकन और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने की बात भी नीति में शामिल है।

वैश्विक आतंकी संगठनों जैसे अल-कायदा और आईएसआईएस से उत्पन्न खतरों का भी दस्तावेज में उल्लेख है। नीति के अनुसार, इन संगठनों की विचारधारा और नेटवर्क सीमाओं से परे काम करते हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सूचना साझाकरण को भी मजबूत किया जाएगा। साथ ही रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर और विस्फोटक सामग्री से जुड़े संभावित खतरों, जिन्हें सामूहिक रूप से CBRNED कहा जाता है, की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है।

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति भारत की आतंकवाद-रोधी रणनीति को औपचारिक और व्यापक स्वरूप देती है। अब तक विभिन्न एजेंसियां अपने-अपने स्तर पर काम करती थीं, लेकिन 'प्रहार' उन्हें एक साझा दृष्टि और दिशा प्रदान करता है। इससे न केवल खुफिया तंत्र अधिक समन्वित होगा, बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। साथ ही यह संदेश भी जाता है कि भारत आतंकवाद के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी बरतने को तैयार नहीं है।

कुल मिलाकर 'प्रहार' केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण है, जो सुरक्षा, तकनीक, कानून और समाज—सभी को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास करता है। यह नीति बताती है कि आतंकवाद के बदलते स्वरूप के साथ मुकाबला करने के लिए भारत भी अपनी रणनीति को लगातार विकसित कर रहा है। आने वाले समय में इसका प्रभाव किस तरह दिखेगा, यह उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ चौतरफा और संगठित 'प्रहार' की तैयारी कर ली है।

संपादकीय

नये नियमों का सख्ती से पालन जरूरी

भारत में ठोस कचरे का निस्तारण आज केवल नगरपालिकाओं का नियमित कार्य नहीं रह गया है, बल्कि यह राष्ट्रीय विकास, पर्यावरणीय संतुलन और जन-स्वास्थ्य से जुड़ा एक अत्यंत गंभीर विषय बन चुका है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर जो चिंता व्यक्त की है, वह वास्तव में देश की जमीनी हकीकत को सामने लाती है। न्यायालय ने स्पष्ट संकेत दिया है कि दशकों पुराने नियमों के बावजूद यदि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति संतोषजनक नहीं है, तो यह प्रशासनिक तंत्र की कमजोरी और जवाबदेही के अभाव को दर्शाता है। कचरे के बढ़ते पहाड़, भरे हुए लैंडफिल और अवैज्ञानिक ढंग से फेंका गया अपशिष्ट इस बात का प्रमाण हैं कि समस्या केवल संसाधनों की कमी की नहीं, बल्कि इच्छाशक्ति और प्रभावी क्रियान्वयन की भी है। देश के अधिकांश शहरों में आज कचरा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। महानगरों के बाहरी इलाकों में कचरे के पहाड़ बन चुके हैं, जिनसे निकलने वाली जहरीली गैसें आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रही हैं। वर्षा के दिनों में यही कचरा जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण को बढ़ाता है। परिणामस्वरूप नागरिकों को शुद्ध पेयजल और स्वच्छ हवा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति भी बहुत भिन्न नहीं है, जहां ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समुचित व्यवस्था का अभाव है। खुले में कचरा फेंकना और जलाना सामान्य प्रवृत्ति बन चुकी है, जो पर्यावरण के लिये घातक सिद्ध हो रही है। जब हम विकसित भारत के लक्ष्य की बात करते हैं, तो यह समझना आवश्यक है कि बुनियादी नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता ही किसी भी राष्ट्र की प्रगति का वास्तविक पैमाना होती है। यदि शहरों और कस्बों में स्वच्छता और कचरा निस्तारण की उचित व्यवस्था नहीं होगी, तो स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ेगा, उत्पादकता घटेगी और आर्थिक विकास की गति प्रभावित होगी। अस्वच्छ वातावरण में रहने वाले नागरिक अक्सर बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता कम होती है और स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय बढ़ता है। इस प्रकार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सीधे-सीधे आर्थिक स्थिरता और सामाजिक कल्याण से जुड़ा हुआ है। न्यायालय ने स्थानीय निकायों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करने पर विशेष जोर दिया है। पार्षदों, कॉर्पोरेटरों और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्र में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाएं और नियमों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करें। केवल नियम बना देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी अनुपालन भी आवश्यक है। यदि प्रारंभिक स्तर पर ही गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित किया जाए, तो कचरे के उपचार और पुनर्चक्रण की प्रक्रिया अधिक सरल और प्रभावी हो सकती है। दुर्भाग्यवश, अधिकांश स्थानों पर यह व्यवस्था अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है।

सरकार ने समय-समय पर कई योजनाओं के माध्यम से शहरी अवसंरचना और स्वच्छता में सुधार का प्रयास किया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जन-जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन पर विशेष बल दिया गया। इसी प्रकार अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य शहरों को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाना है। इन पहलों के बावजूद यदि जमीनी स्तर पर अपेक्षित सुधार नहीं दिखता, तो यह स्पष्ट है कि योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी में कहीं न कहीं कमी रह गई है। कई बार परियोजनाएं कागजों तक सीमित रह जाती हैं या उनका लाभ व्यापक रूप से नागरिकों तक नहीं पहुंच पाता। भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण भी कचरा प्रबंधन की समस्या को जटिल बना रहे हैं। उपभोग की प्रवृत्ति में वृद्धि के साथ प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और पैकेजिंग सामग्री का उपयोग बढ़ा है। इनका उचित निस्तारण न होने पर पर्यावरण को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचता है। प्लास्टिक कचरा मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करता है और जल स्रोतों को अवरुद्ध करता है। ई-वेस्ट में मौजूद विषैले तत्व मानव स्वास्थ्य के लिये अत्यंत हानिकारक होते हैं। यदि इनका वैज्ञानिक ढंग से पुनर्चक्रण नहीं किया गया, तो यह समस्या आने वाली पीढ़ियों के लिये और भी गंभीर हो सकती है। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा शहरी अवसंरचना में बड़े निवेश की पहल सराहनीय है। एक लाख करोड़ रुपये के निवेश से जल, सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ करने का लक्ष्य निश्चित रूप से सकारात्मक कदम है। परंतु केवल धन आवंटित कर देना पर्याप्त नहीं है। पारदर्शिता, तकनीकी दक्षता और निरंतर निगरानी सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है।

मुआवजे के अलावा हादसे के दोषी भी दंडित हों

> सवाल है कि क्या आर्थिक मुआवजा किसी जीवन की क्षति की पूर्ति कर सकता है? स्पष्ट है कि सड़क सुरक्षा के साथ-साथ दंड प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता भी उतनी ही आवश्यक है, ताकि कानून का भय और न्याय का विश्वास दोनों कायम रह सकें।

देश के सड़क ढांचे का व्यापक विस्तार हुआ है और राजमार्गों का जाल तेजी से फैला है। संकरी और जर्जर सड़कों की जगह अब आधुनिक एवं चौड़ी सड़कों ने ले ली है, जिससे सड़क परिवहन व्यवसायियों और आम नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक और आकर्षक बन गया है। किन्तु इस विकास के साथ नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। शहरों की भीड़भाड़ से दूर बाइपास और खुली सड़कों पर वाहन चालक प्रायः लापरवाही से तेज गति में वाहन चलाते हैं। पर्याप्त निगरानी और यातायात नियंत्रण के अभाव में दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। स्थिति और गंभीर तब हो जाती है जब चालक नशे की अवस्था में वाहन चलाते हैं। ऐसे में तेज रफ्तार वाहन यात्रियों और राहगीरों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार एशिया में सपाट और चौड़ी सड़कों पर दुर्घटनाओं की दर चिंताजनक रूप से बढ़ी है। भले ही सड़क सुरक्षा बल की तैनानी और दुर्घटना में घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने वालों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की हो, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में अपेक्षित कमी नहीं आई है।

यदि किसी एक चालक की लापरवाही से दूसरे चालक या राहगीर की मृत्यु हो जाती है, तो यह केवल दुर्घटना नहीं, बल्कि लापरवाही से हुई मृत्यु का मामला है। ऐसे मामलों में दोषियों को कठोर दंड मिलना चाहिए। लेकिन अक्सर आर्थिक रूप से संपन्न लोग कई बार कानूनी प्रक्रियाओं में दखल या धनबल के सहारे राहत पा लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(एक्स) में 'पीड़ित' की परिभाषा में कानूनी वारिसों को भी शामिल किया गया है। पूर्व में प्रायः ऐसा होता था कि मृतक के वारिस समझौते के तहत मुआवजा स्वीकार कर लेते थे और मामला आगे नहीं बढ़ता था।

फलस्वरूप, आर्थिक क्षतिपूर्ति को ही न्याय का विकल्प मान लिया जाता था। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, उसे प्रत्यक्ष न्याय तो नहीं मिल सकता; अतः उसके परिजनों को धनराशि देकर मामले का पटाक्षेप कर दिया जाता था। क्या केवल आर्थिक मुआवजा किसी जीवन की क्षति की पूर्ति कर सकता है? स्पष्ट है कि सड़क सुरक्षा के साथ-साथ दंड प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता भी उतनी ही आवश्यक है, ताकि कानून का भय और न्याय का विश्वास दोनों कायम रह सकें।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर फैसला दिया है कि सड़कों पर लापरवाही से वाहन चला कर दुर्घटना करने वाले माफी के हकदार नहीं। निस्संदेह, मृतक के आश्रितों को कुछ क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए लेकिन यहां तो मौत के जिम्मेदार को ही माफ होने लगी। अदालत ने इस अधिकार रद्द कर दिया है। कुछ अभियुक्तों ने तर्क दिया कि वे केवल अनुबंध पर वाहन चला रहे थे, इसलिए सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी नहीं बल्कि वाहन स्वामी की है। इस पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दोष तय करना अदालत का कार्य है; यह साक्ष्यों के आधार पर ही निर्धारित होगा कि जिम्मेदार कौन है। यदि किसी वाहन स्वामी ने जर्जर वाहन सड़क पर उतारे हों और उनसे दुर्घटना हुई हो, तो जांच उसी अनुरूप की जाएगी।

स्पष्ट है कि अधिकांश दुर्घटनाएं मानवीय लापरवाही और तेज गति के कारण होती हैं। ऐसी मौतों की आपराधिक जवाबदेही केवल धन-लेनदेन के समझौते के आधार पर समाप्त नहीं की जा सकती। समझौते से एफआईआर रद्द करना तभी संभव है जब वास्तविक पीड़ित की शिकायत शेष न हो। पीड़ित के परिजनों के लिए न्याय सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है।

वर्तमान परिस्थितियों में कठोर दंड की संभावना प्रायः क्षीण प्रतीत होती है। दंड विधान में भी कानूनी छिद्र खोज लेने वाले सामने आ जाते हैं। 'तारीख पर तारीख' की प्रक्रिया लंबी होती रहती है और अभियुक्त जमानत पर बाहर आकर स्वयं को अपराध मुक्त समझने लगते हैं।

इसी व्यवस्था में आर्थिक रूप से संपन्न लोगों ने दुर्घटनाओं में अपनी लापरवाही से हुई मौतों के मामलों का समाधान भी अपने तरीके से निकाल लिया—मुआवजे और समझौतों के माध्यम से। न्याय का सिद्धांत यह है कि अपराधी को दंड मिले और पीड़ित परिवार को न्याय। किसी की मृत्यु के बदले केवल धनबल के आधार पर, वारिसों के हस्ताक्षरों से 'माफी' स्वीकार करवा लेना न्याय की भावना के विपरीत है। यह निर्णय न केवल विधि के शासन को सुदृढ़ करता है, बल्कि लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ—न्यायपालिका—की गरिमा और प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। इसे स्वीकार और लागू करना ही न्यायपूर्ण समाज की दिशा में एक आवश्यक कदम होगा।

इसके अतिरिक्त, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि सड़कें वर्षों तक मरम्मत की प्रतीक्षा में जर्जर न पड़ी रहें। दुर्घटना-प्रवण ब्लैक स्पॉट्स को शीघ्र सुधारा जाए, चेतावनी संकेत स्पष्ट और बड़े अक्षरों में लगाए जाएँ तथा रात्रि में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना न्यूनतम हो।

प्रेरणा

विनम्रता का सर्वोच्च आदर्श और प्रशंसा का सच्चा समर्पण

मानव जीवन में प्रशंसा एक ऐसी मधुर ध्वनि है, जिसे सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। यह व्यक्ति के परिश्रम, गुणों और उपलब्धियों की स्वीकृति का प्रतीक होती है। लेकिन यही प्रशंसा, यदि सही भाव से ग्रहण न की जाए, तो यह व्यक्ति के भीतर अहंकार का कारण भी बन सकती है। अहंकार वह सूक्ष्म तत्व है, जो धीरे-धीरे व्यक्ति के विवेक को ढक देता है और उसे वास्तविकता से दूर ले जाता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में इसीलिए विनम्रता को सबसे बड़ा गुण माना गया है। इसका अद्भुत उदाहरण श्रीराम और भरत के जीवन में देखने को मिलता है, जिनका चरित्र रामायण में मानवता के लिए आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भरत ने जिस प्रकार अपनी प्रशंसा को स्वयं स्वीकार करने के बजाय श्रीराम को समर्पित किया, वह समर्पण और विनम्रता का सर्वोच्च उदाहरण है।

प्रशंसा व्यक्ति के जीवन में एक परीक्षा के समान होती है। यह परीक्षा यह नहीं देखती कि व्यक्ति कितना योग्य है, बल्कि यह देखती है कि वह अपनी योग्यता के प्रति कितना विनम्र है। जब व्यक्ति को प्रशंसा मिलती है, तो उसके सामने दो मार्ग होते हैं—एक मार्ग अहंकार का और दूसरा मार्ग समर्पण का। अहंकार का मार्ग व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि उसकी सफलता केवल उसके अपने प्रयासों का परिणाम है। इसके विपरीत, समर्पण का मार्ग व्यक्ति को यह अनुभव कराता है कि उसकी सफलता ईश्वर की कृपा, गुरु के मार्गदर्शन और समाज के सहयोग का परिणाम है। भरत ने समर्पण के इस मार्ग को चुना और यही कारण है कि उनका चरित्र आज भी आदर्श माना जाता है। वास्तव में, कोई भी व्यक्ति अकेले महान नहीं बनता। उसके जीवन में अनेक लोगों का योगदान होता है। माता-पिता उसे संस्कार देते हैं, गुरु उसे ज्ञान देते हैं और समाज उसे अवसर प्रदान करता है। इन सभी के सहयोग से ही व्यक्ति अपने गुणों का विकास कर पाता है। यदि व्यक्ति इस सत्य को समझ ले, तो उसके भीतर अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। वह अपनी उपलब्धियों को स्वयं का नहीं, बल्कि ईश्वर और अपने मार्गदर्शकों का आशीर्वाद मानेगा। यही भावना व्यक्ति को सच्ची विनम्रता प्रदान करती है। विनम्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व को संतुलित और स्थिर बनाती है। यह उसे प्रशंसा और निंदा दोनों स्थितियों में समान बनाए रखती है। विनम्र व्यक्ति प्रशंसा से उत्साहित तो होता है, लेकिन वह उसे अपने अहंकार का कारण नहीं बनने देता। वह यह समझता है कि प्रशंसा एक प्रेरणा है, न कि गर्व का विषय। इसी प्रकार, जब उसे निंदा का सामना करना पड़ता है, तो वह उसे आत्मनिरीक्षण का अवसर मानता है। वह यह सोचता है कि यदि निंदा में कोई सत्य है, तो उसे स्वयं को सुधारना चाहिए। इस प्रकार, विनम्रता व्यक्ति को निरंतर आत्मविकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भरत का यह भाव कि वह केवल एक माध्यम हैं और उनके गुण श्रीराम की कृपा का परिणाम हैं, समर्पण की सर्वोच्च अवस्था को दर्शाता है। यह भावना व्यक्ति को अहंकार से मुक्त करती है और उसे ईश्वर के निकट ले जाती है। जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वह स्वयं कुछ नहीं है और जो कुछ भी है, वह ईश्वर की कृपा से है, तब उसके भीतर सच्ची शांति और संतोष का जन्म होता है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होती है।

आज के आधुनिक युग में, जहां लोग अपनी पहचान और सम्मान को बाहरी प्रशंसा से जोड़ने लगे हैं, भरत का यह आदर्श अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। आज व्यक्ति अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने और दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। लेकिन इस प्रक्रिया में वह अक्सर विनम्रता और समर्पण के महत्व को भूल जाता है। यदि व्यक्ति भरत की तरह प्रशंसा को समर्पित करना सीख ले, तो वह अहंकार से बच सकता है और अपने जीवन में स्थायी शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है।

समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपने गुणों को नकार दे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह अपने गुणों को ईश्वर की देन के रूप में स्वीकार करे। जब व्यक्ति अपने गुणों का श्रेय ईश्वर को देता है, तो वह स्वयं को हल्का और मुक्त अनुभव करता है। उसे यह अनुभव होता है कि वह अकेला नहीं है, बल्कि ईश्वर की कृपा उसके साथ है। यह भावना व्यक्ति को आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। इसके साथ ही, यह भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति निंदा को भी सकारात्मक दृष्टि से स्वीकार करे। निंदा व्यक्ति को उसके दोषों का बोध कराती है और उसे सुधारने का अवसर प्रदान करती है। यदि व्यक्ति निंदा से सीख ले और स्वयं को सुधारने का प्रयास करे, तो वह निरंतर प्रगति कर सकता है। इस प्रकार, प्रशंसा और निंदा दोनों ही व्यक्ति के विकास के साधन बन सकते हैं, यदि वह उन्हें सही दृष्टिकोण से देखे।

मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मिक उन्नति प्राप्त करना है। यह तभी संभव है, जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर समर्पण की भावना को अपनाए। समर्पण व्यक्ति को ईश्वर के निकट ले जाता है और उसे सच्चे आनंद का अनुभव कराता है। जब व्यक्ति अपनी प्रशंसा को ईश्वर के चरणों में समर्पित करता है, तो वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है।

अंततः, भरत का यह आदर्श हमें यह सिखाता है कि सच्ची महानता प्रशंसा प्राप्त करने में नहीं, बल्कि प्रशंसा को समर्पित करने में है। जब व्यक्ति अपनी उपलब्धियों का श्रेय स्वयं लेने के बजाय ईश्वर को देता है, तब वह अहंकार से मुक्त हो जाता है और सच्चे अर्थों में महान बनता है। विनम्रता, समर्पण और कृतज्ञता ही वे गुण हैं, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। यही जीवन का सच्चा मार्ग है और यही वह आदर्श है, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए।

Devji और Malla Raji Reddy जैसे शीर्ष माओवादी नेताओं के आत्मसमर्पण के साथ नक्सलवाद मुक्त होने की राह पर बढ़ा देश

तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सरहद से आई एक खबर ने दशकों से चल रहे माओवादी आंदोलन की कमर तोड़ कर रख दी है। प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी के शीर्ष कमांडर और प्रमुख रणनीतिकार टिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी तथा वरिष्ठ नेता मल्ला राजी रेड्डी उर्फ संग्राम का आत्मसमर्पण उस अभियान की निर्णायक कड़ी बन गया है, जिसे केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य के साथ शुरू किया था। हम आपको बता दें कि करीब साठ से बासठ वर्ष का देवजी तेलंगाना के जगत्याल जिले के कोरुतला कस्बे के अंबेडकर नगर का निवासी है। दलित माला परिवार से आने वाले देवजी ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान ही कट्टर वामपंथी विचारधारा की ओर रुख कर लिया था। 1982 में वह रेडिकल स्टूडेंट यूनियन से जुड़ा था। उसी दौर में करीमनगर जिले में आरएसयू और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुईं और एक मामले में उसका नाम आरोपी के रूप में सामने आया।

1983 में उसने सीपीआई एमएल पीपुल्स वार ग्रुप का दामन थामा और भूमिगत हो गया। 1983 से 1984 के बीच वह गढ़चिरोली दलम का सदस्य रहा। 1985 में एरिया कमेटी सदस्य बना और 2001 में केंद्रीय समिति में जगह पाई। 2016 में उसे केंद्रीय सैन्य आयोग का प्रभारी बनाया गया।

देवजी को पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के गठन का श्रेय दिया जाता है। वह संगठन की केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो का सदस्य रहा तथा दक्षिण भारत जोन और सेंट्रल रीजनल ब्यूरो में सैन्य रणनीति का मुख्य मार्गदर्शक बना। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक 2010 के दंतेवाड़ा हमले सहित कई बड़े हमलों की साजिश से उसका संबंध रहा है। उस पर एक से ढाई करोड़ रुपये तक का इनाम घोषित था।

मई 2025 में सीपीआई माओवादी के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजु की मौत के बाद माना जा रहा था कि देवजी ने संगठन की कमान संभाली। ऐसे समय में उसके आत्मसमर्पण ने संगठन के नेतृत्व को लगभग शून्य में ला खड़ा किया है।

वहीं मल्ला राजी रेड्डी उर्फ संग्राम लगभग 76 वर्ष का अनुभवी माओवादी नेता है। वह पेद्दापल्ली जिले के मुथारम मंडल के सथराजपल्ली गांव का निवासी है। 1975 में उसने नक्सली आंदोलन का रास्ता चुना और संगठन में विभिन्न अहम पदों पर रहा। उसके सिर पर भी एक करोड़ रुपये का इनाम था।

राजी रेड्डी कई नामों से जाना जाता रहा और संगठन के केंद्रीय समिति सह पोलित ब्यूरो सदस्य के रूप में सक्रिय था। वह उन अंतिम शीर्ष नेताओं में था जिसकी तलाश सुरक्षा बलों को थी। उसके साथ सोलह अन्य कैडर का आत्मसमर्पण माओवादी ढांचे के तेजी से सिमटते दायरे का संकेत है।

हम आपको बता दें कि 17 फरवरी को छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नाम्बी और कर्रेगुट्टा पहाड़ियों में सीआरपीएफ के नेतृत्व में केजीएच 2 नाम से व्यापक अभियान शुरू हुआ था। खुफिया ब्यूरो और विशेष खुफिया शाखा ने परिवार और परिचितों के जरिये भी दबाव बढ़ाया। तेलंगाना के डीजीपी बी शिवाधर रेड्डी ने 15 फरवरी को खुले मंच से भूमिगत नेताओं से मुख्यधारा में लौटने की अपील की थी और राज्य की सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन योजना के तहत मदद का आश्वासन दिया था।

बताया जाता है कि पिछले दो दिनों से देवजी और राजी रेड्डी पुलिस के संपर्क में थे। अंततः रविवार तड़के कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले में विशेष खुफिया ब्यूरो के समक्ष उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया।

बताया जाता है कि अक्टूबर 2025 में तेलंगाना के ही मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू ने गढ़चिरौली में 60 कैडर के साथ आत्मसमर्पण कर अस्थायी रूप से सशस्त्र संघर्ष त्यागने और युद्धविराम की बात कही थी। उसके रुख का कुछ वरिष्ठ नेताओं ने विरोध किया और माना जाता है कि देवजी सशस्त्र संघर्ष जारी रखने के पक्ष में था। यह वैचारिक विभाजन संगठन को भीतर से कमजोर करता रहा। अब जब स्वयं देवजी ने हथियार डाल दिए तो यह संकेत है कि जमीन पर हालात बदल चुके हैं।

देखा जाये तो पिछले एक वर्ष में देशभर में 2793 कैडर ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 1590 केवल बस्तर क्षेत्र से थे। 2025 में 1040, 2024 में 881, 2023 में 376 और 2022 में 496 आत्मसमर्पण दर्ज हुए। केवल तेलंगाना में पिछले दो वर्षों में 588 माओवादी नेता और कैडर सामान्य जीवन में लौटे हैं।

हम आपको याद दिला दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट ऐलान किया था कि 31 मार्च तक देश से माओवादी उग्रवाद पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। उनका यह बयान जमीनी हकीकत पर आधारित दिखता है। तीन वर्षों में व्यापक अभियान, सटीक खुफिया समन्वय, राज्यों के बीच तालमेल और पुनर्वास नीति के संयोजन ने माओवाद की रीढ़ तोड़ दी है। सुरक्षा बलों ने साफ संदेश दिया था कि या तो आत्मसमर्पण करें या तीव्र अभियान में समाप्त कर दिए जाएंगे। देवजी और राजी रेड्डी का आत्मसमर्पण उसी संदेश की परिणति है। अब जब माओवादी संगठन के शीर्ष चार केंद्रीय समिति सदस्य में से दो ने हथियार डाल दिए, तो यह माना जा सकता है कि माओवादी आंदोलन अपने अंतिम दौर में है। अमित शाह का संकल्प अब लगभग साकार होता दिख रहा है। दशकों तक खून और हिंसा से दागदार रहे इलाकों में अब शांति, विकास और लोकतांत्रिक मुख्यधारा की उम्मीद मजबूत हुई है।

अभियान

बर्बरीक के अमर त्याग से खाटू श्याम की अटूट आस्था तक

राजस्थान की धरा पर जब फाल्गुन मास का आगमन होता है, तो भक्ति और उत्साह का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। सीकर जिले में स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर इन दिनों श्रद्धालुओं की अपार भीड़ से सराबोर हो उठता है। "हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा", "लखदातार की जय" और "खाटू नरेश की जय" जैसे जयकारों से वातावरण गूंज उठता है। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, त्याग और विश्वास का विराट उत्सव है, जिसे फाल्गुनी लक्खी मेले के रूप में मनाया जाता है। सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है, जितनी अपने प्रारंभिक काल में रही होगी। लगभग 370 वर्षों से अधिक समय से आयोजित हो रहा यह मेला न केवल राजस्थान, बल्कि देश-विदेश से आने वाले भक्तों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बन चुका है।

इस मेले की मूल प्रेरणा उस अद्वितीय त्याग से जुड़ी है, जो महाभारत काल के महादानी वीर बर्बरीक ने किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार बर्बरीक महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता नागकन्या अहिलवती थीं। बचपन से ही उन्होंने असाधारण पराक्रम और तपस्या का परिचय दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें तीन अमोघ बाण प्रदान किए, जबकि अग्निदेव ने उन्हें दिव्य धनुष दिया। इन तीन बाणों की शक्ति इतनी अपार थी कि वे तीनों लोकों का संहार कर सकते थे। इसी कारण बर्बरीक "तीन बाणधारी" के नाम से विख्यात हुए। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, तो वे भी अपने दिव्य अस्त्रों के साथ युद्धभूमि की ओर चल पड़े।

युद्धभूमि में उनकी भेंट श्रीकृष्ण से हुई। श्रीकृष्ण ने उनसे उनकी शक्ति और संकल्प के बारे में पूछा। बर्बरीक ने विनम्रता से कहा कि वे केवल तीन बाणों से पूरे युद्ध का अंत कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा भी बताई कि वे सदैव उस पक्ष का साथ देंगे, जो युद्ध में कमजोर होगा। श्रीकृष्ण ने उनकी प्रतिज्ञा के दूरगामी परिणामों को समझ लिया। यदि बर्बरीक युद्ध में उतरते, तो उनका संकल्प युद्ध की दिशा को बार-बार बदल देता और अंततः पांडवों की पराजय सुनिश्चित हो जाती, जिससे अधर्म की विजय होती। धर्म की स्थापना के लिए श्रीकृष्ण ने एक असाधारण निर्णय लिया। उन्होंने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांगा।

वीर बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान कर दिया। यह त्याग केवल शरीर का नहीं, बल्कि अहंकार और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का भी त्याग था। श्रीकृष्ण ने उनके शीश को श्यामकुंड में प्रवाहित किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलियुग में वे उनके नाम से पूजे जाएंगे। यही बर्बरीक आगे चलकर खाटू श्याम के रूप में विख्यात हुए। कहा जाता है कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्यामकुंड में उनका शीश प्रकट हुआ था। अगले दिन द्वादशी को उसी शीश की स्थापना मंदिर के रूप में की गई। इसी ऐतिहासिक और पौराणिक घटना की स्मृति में हर वर्ष फाल्गुनी लक्खी मेले का आयोजन होता है। "लक्खी मेला" नाम स्वयं में इसकी भव्यता का प्रमाण है। राजस्थानी भाषा में "लक्खी" का अर्थ है लाखों की संख्या। इस मेले में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भक्तों का विश्वास है कि खाटू श्याम, जिन्हें "लखदातार" कहा जाता है, उनके दुखों को हर लेते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भक्तों की यह आस्था केवल एक धार्मिक भावना नहीं, बल्कि अनुभवों और विश्वासों की परंपरा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मंदिर के दर्शन की एक विशेष परंपरा है। भक्तों को बाबा के दर्शन के लिए 13 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। माना जाता है कि इन 13 सीढ़ियों को पार करते हुए भक्त अपने सांसारिक दुखों और बाधाओं को पीछे छोड़ देते हैं और सीधे बाबा से नेत्र-संपर्क करते हैं। यह क्षण उनके लिए अत्यंत भावुक और आध्यात्मिक होता है। भक्त हाथ में मयूर पंख और गुलाब का फूल अर्पित करते हैं, जिसे शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मंदिर की आरती और भजनों की मधुर ध्वनि वातावरण को भक्तिमय बना देती है।खाटू श्याम की कथा केवल एक स्थान तक सीमित नहीं है। बर्बरीक का धड़ हरियाणा के हिसार जिले के बीड़ गांव में पूजित है, जहां "श्याम बाबा मंदिर" स्थित है। वहीं पानीपत के समीप चुलकाना धाम को वह स्थान माना जाता है, जहां उन्होंने अपना शीश दान किया था। इस प्रकार उनके शीश और धड़ की पूजा अलग-अलग स्थानों पर होती है, जो इस कथा की व्यापकता और ऐतिहासिक गहराई को दर्शाती है।

खाटू श्याम धाम तक पहुंचना भी अब सरल है। रींगस निकटतम रेलवे स्टेशन और बस अड्डा है, जो दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर और जयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर है। रींगस से मंदिर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है, जिसे भक्त ई-रिक्शा या पैदल यात्रा के माध्यम से तय करते हैं। विशेष रूप से फाल्गुनी मेले के दौरान कई श्रद्धालु पैदल यात्रा को ही वरीयता देते हैं, जिसे वे भक्ति और तपस्या का रूप मानते हैं। सामान्य दिनों में मंदिर के दर्शन का समय सुबह और शाम निर्धारित रहता है, लेकिन मेले के दौरान मंदिर के द्वार 24 घंटे खुले रहते हैं, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर सकें।

फाल्गुनी लक्खी मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक समागम भी है। यहां राजस्थान की लोक संस्कृति, भक्ति संगीत और पारंपरिक वेशभूषा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए भंडारे और चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं। स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवक व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह आयोजन सामाजिक एकता और सहयोग की मिसाल बन जाता है।

बर्बरीक का त्याग हमें यह सिखाता है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध में विजय प्राप्त करने में नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के लिए अपने अहंकार और अस्तित्व का त्याग करने में है। खाटू श्याम की आस्था हमें यह संदेश देती है कि जब व्यक्ति पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर को अपना सहारा मान लेता है, तो उसके जीवन की कठिनाइयां भी हल्की प्रतीत होने लगती हैं। "हारे का सहारा" का यह भाव आज भी लाखों लोगों के हृदय में विश्वास का दीप प्रज्वलित करता है।

इस प्रकार, बर्बरीक के अमर त्याग से लेकर आज के श्रद्धालुओं की अटूट आस्था तक, खाटू श्याम धाम एक जीवंत परंपरा का प्रतीक है। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि विश्वास, समर्पण और भक्ति का केंद्र है, जहां हर वर्ष लाखों लोग अपने दुख-दर्द लेकर आते हैं और आशा तथा संतोष के साथ लौटते हैं। फाल्गुनी लक्खी मेला इस दिव्य परंपरा का उत्सव है, जो हमें यह स्मरण कराता है कि त्याग और आस्था ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के गौरवशाली अवसर के जश्न का संकल्प विधानसभा में पेश किया

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- वंदे मातरम गीत कभी अप्रासंगिक नहीं होगा
- आजादी के आंदोलन को गति देने का कारण बना वंदे मातरम अब अमृत काल में उसी जोश और जज्बे से विकसित भारत-आत्मनिर्भर भारत के लिए नया प्रेरक बल बनेगा
- गुलामी के कालखंड में रचित वंदे मातरम के शब्द और अर्थ गुलामी की छाया तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि आज भी सुसंगत और प्रासंगिक हैं, वंदे मातरम गीत की हर पंक्ति में भारत माता का अर्थपूर्ण भक्ति गान है
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वंदे मातरम गीत की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देशव्यापी समारोह के माध्यम से हमें देश के महान नायकों का पुण्य स्मरण और भारत माता की भाव वंदना करने का पुनः अवसर दिया है
- राष्ट्र विरोधी शक्तियों और दुश्मनों का नाश करने वाली भारत माता 'बहुबलधारिणीं' और 'रिपुदलवारिणीं' है

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के गौरवशाली अवसर के जश्न का संकल्प सोमवार को गुजरात विधानसभा में पेश करते हुए साफ कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से देश भर में जिस गीत की रचना के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है, उस वंदे मातरम की प्रत्येक पंक्ति में भारत माता का अर्थपूर्ण भक्ति गान है।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि वंदे मातरम गीत की ताकत ही इतनी है कि भले ही यह गुलामी के कालखंड में रचा गया हो, लेकिन इसके अर्थ और शब्द गुलामी की छाया तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि आज भी उतने ही सुसंगत और प्रासंगिक हैं कि यह वंदे मातरम गीत कभी अप्रासंगिक नहीं होगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आजादी के आंदोलन को गति देने का कारण बना वंदे मातरम अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस अमृत काल में उसी जोश और जज्बे से विकसित भारत-आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए नया प्रेरक बल बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम की रचना कर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र चेतना के साथ स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया था और जन-जन में ऐसा विश्वास जगाया था कि ऐसा कोई संकल्प नहीं है, जो पूरा न हो सके और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे हम हासिल न कर सकें।

उन्होंने कहा कि हर गीत का अपना एक मूल भाव और मुख्य संदेश होता है। इस वंदे मातरम का विषय भारत माता है। इस गीत में मां भारती की वंदना इस कल्पना के साथ हुई है कि मां भारती की गुलामी के बंधन टूटेंगे और उसके बच्चे ही उसके भाग्य विधाता बनेंगे।

इतना ही नहीं, मूल सभ्यता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की रक्षा की प्रेरणा के लिए रचित इस गीत से तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की चूलें हिल गई थी और उसने वंदे मातरम गीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस दौर में वंदे मातरम गाने वालों को जेल में डाल दिया जाता था और उन पर कोड़े बरसाए जाते थे।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि ऐसे जुल्म के बावजूद वंदे मातरम स्वतंत्रता का जयघोष और लाखों देशवासियों के सपनों के समृद्ध भारत का मंत्र बन गया था।

मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम गीत में भारत माता की जल, फल और धन-धान्य से भरपूर, विद्यादायिनी सरस्वती, समृद्धि दायिनी मां लक्ष्मी और अस्त्र-शस्त्र धारण करने वाली मां दुर्गा के रूप में की गई भक्ति-वंदना का उल्लेख करते हुए वंदे मातरम गीत की रचना से लेकर 1950 में संविधान सभा द्वारा इस गीत को राष्ट्र गान 'जन गण मन' के बराबर दर्जा देने तक के रोमांचक इतिहास का विस्तार से जिक्र किया।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि देश की आजादी के लिए अनेक प्रसिद्ध और गुमनाम सपूत वंदे मातरम का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए थे और सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस गीत की प्रेरणा से देशवासियों में भारत माता के लिए कुर्बान होने की भावना और भारत भक्ति उजागर हुई थी। ऐसे त्याग, तपस्या और बलिदान से भारत को गुलामी से स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन दशकों तक मां भारती का उचित सम्मान और गौरव उपेक्षित ही रहा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश का सेवा दायित्व संभालते ही देशवासियों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रथम के भाव की चेतना जगी है। उन्होंने विरासत का विशिष्ट सम्मान किया है और 'मेरी मिट्टी-मेरा देश', 'हर घर स्वदेशी-घर घर स्वदेशी', 'हर घर तिरंगा-घर घर तिरंगा' जैसे अभियानों के साथ ही हजारों वर्षों की अटल आस्था और श्रद्धा के पुनर्जागरण के प्रतीक 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के माध्यम से जन-जन में सांस्कृतिक चेतना भी सुदृढ़ की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब दुश्मनों ने उकसाया, तब 'बहुबलधारिणीं' यानी अनेक भुजाओं को धारण करने वाली 'रिपुदलवारिणीं' यानी शत्रु समूह का नाश करने वाली भारत माता ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन्हें मुंहतोड़ जवाब देकर समूची दुनिया को हमारे पराक्रम की पराकाष्ठा दिखाई। उन्होंने आगे यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वंदे मातरम गीत की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशव्यापी समारोह के माध्यम से हमें देश के महान नायकों का पुण्य स्मरण और भारत माता की वंदना करने का पुनः अवसर दिया है।

मुख्यमंत्री ने सदन में सदस्यों के वंदे मातरम के नारों की गूंज के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की एक काव्य रचना का भी गर्व से स्मरण किया, जिसमें श्री मोदी ने वंदे मातरम के प्रति अटल श्रद्धा और राष्ट्र भावना को कुछ इस तरह अभिव्यक्त किया था- "वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, यह हमारी आन, बान और शान है। आजादी के महायज्ञ की आहुति है। राष्ट्रभक्ति की मशाल है। विकास की निरंतर धड़कती अडिग पहचान है। प्रजा जीवन की हर प्रभात की प्रबुद्ध चेतना का स्वर है।"

महाप्रबंधक, पश्चिम रेलवे ने वडोदरा मंडल के दो कर्मचारियों को संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया

(जीएनएस)। रेलवे के संचालन में संरक्षा सर्वोपरि होती है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी की सजगता एवं सतर्कता अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक (प्रभारी) श्री प्रदीप कुमार ने वडोदरा मंडल के दो रेल कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए "मैन ऑफ द मंथ" संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार जनवरी 2026 के दौरान ड्यूटी पर रहते हुए सतर्कता दिखाने और संभावित दुर्घटनाओं को समय रहते टालने में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रदान किए गए।

पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारी (1) श्री अनूप कुमार मीना, पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के गोधरा गुड्स लोको पायलट ,के पद पर कार्यरत हैं। दिनांक 03.01.2026 को टीएसएसडब्ल्यू में, ट्रेन के साइड बेयरर की जीडीआर जाँच के दौरान, वैगन अपनी निर्धारित स्थिति से खिसकी हुई पाई गई,जो आगे संचालन हेतु असुरक्षित थी। तदनुसार उक्त ट्रेन को आगे चलने के लिए अनुपयुक्त घोषित करते हुए संबंधित वैगन को ट्रेन से अलग कर दिया गया। इस संबंध में तत्काल स्टेशन मास्टर- बनाकबोरी एवं कंट्रोल- वडोदरा को सूचना दी गई। वैगन की पूर्णतः जाँच की गई तथा उसकी असुरक्षित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उसे हटाया गया।

उनकी समयोचित,सतर्क एवं जिम्मेदार कार्रवाई से कार्य के प्रति उनकी तत्परता एवं ईमानदारी परिलक्षित होती है, जिसके परिणामस्वरूप ट्रेन को लाइन पर किसी भी संभावित अप्रिय घटना से सुरक्षित रखा जा सका। (2) श्री चंद्र कान्त सिंह वडोदरा में (ट्रेन मैनेजर),के पद पर कार्यरत हैं। दिनांक 11.01.2026 को, जीडीआर करते समय श्री चंद्र कान्त सिंह ने रेक का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया तथा अंकलेश्वर पर एक वैगन में फ्लैट टायर पाया। दोष की गंभीरता एवं उससे उत्पन्न संभावित सुरक्षा खतरे को समझते हुए उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया और शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की। परिणामस्वरूप,कैरिज एंड वैगन स्टाफ द्वारा भरूच पर उक्त डिफेक्टिव वैगन को अलग कर दिया गया,जिससे ट्रेन संचालन से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। उनके द्वारा समय रहते डिफेक्ट का पता लगाना एवं सुरक्षा की दृष्टि से की गई त्वरित कार्यवाही से एक संभावित असुरक्षित घटना टल गई,जिससे रोलिंग स्टॉक की सुरक्षा तथा ट्रेन संचालन की सुचारुता सुनिश्चित हुई।

सतर्कता,तकनीकी दक्षता एवं कर्तव्यनिष्ठा अत्यंत सराहनीय है तथा यह उनके तथा भारतीय रेल की प्रतिष्ठा में वृद्धि करती है। महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सतर्कता की सराहना करते हुए कहा कि ये सभी कर्मचारी अपने कार्य के प्रति समर्पित रहकर दूसरों के लिए प्रेरणास्रोत बने हैं। पश्चिम रेलवे को अपने ऐसे कर्मचारियों पर गर्व है, जो विषम परिस्थितियों में भी धैर्य और समझदारी के साथ कार्य करते हैं और रेल संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। यह सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना है, बल्कि यह पश्चिम रेलवे की उस संस्कृति को भी प्रतिबिंबित करता है, जहाँ संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

पश्चिम रेलवे के 12 कर्मचारियों को महाप्रबंधक संरक्षा पुरस्कार से किया गया सम्मानित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक (प्रभारी) श्री प्रदीप कुमार द्वारा जनवरी 2026 के लिए 12 कर्मचारियों को महाप्रबंधक का "मैन ऑफ द मंथ" संरक्षा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह सम्मान पश्चिम रेलवे मुख्यालय, मुंबई में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। इन कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट सतर्कता, कर्तव्यनिष्ठा एवं समर्पण के लिए सम्मानित किया गया, जिससे संभावित अप्रिय घटनाओं को रोकने तथा सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला। सम्मानित कर्मचारियों में भावनगर मंडल से तीन, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, वडोदरा एवं रतलाम मंडलों से दो-दो तथा राजकोट मंडल से एक कर्मचारी शामिल थे।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुंबई सेंट्रल मंडल के दो कर्मचारियों को उनकी सतर्कता एवं त्वरित कार्रवाई के लिए सम्मानित किया गया। मुंबई सेंट्रल मंडल में कार्यरत वाणिज्य लिपिक सह टिकट परीक्षक श्री नीरज पांडे को गोल्डन टेम्पल मेल में कोच-मैनिंग ड्यूटी के दौरान उनकी असाधारण सतर्कता के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने ब्रेक बाइंडिंग के कारण एक कोच के पहियों से धुआँ और आग निकलते हुए देखा तथा तुरंत संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को सूचित किया। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अलार्म चेन खींचकर ट्रेन को रोका और अग्निशामक यंत्र की सहायता से आग बुझाकर संभावित गंभीर घटना को टाल दिया।

मुंबई सेंट्रल मंडल में तकनीशियन के पद पर कार्यरत श्री संजय वी. समुद्रे को भी उनकी सतर्कता के लिए सम्मानित किया गया। नंदुरबार स्टेशन पर एक ट्रेन की रोलिंग-इन जांच के दौरान उन्होंने एक वैगन के बॉडी में गंभीर वेल्डिंग दोष एवं असामान्य विस्तार पाया, जो एक बड़ा संरक्षा जोखिम था। उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित किया तथा दोषयुक्त वैगन को 'सिक' चिन्हित कर अलग करवाया, जिससे संभावित दुर्घटना को टाला जा सका और सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित हुआ।

अहमदाबाद, वडोदरा, रतलाम, राजकोट एवं भावनगर मंडलों के सम्मानित कर्मचारियों को भी उनकी असाधारण सूझबूझ, सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता एवं त्वरित कार्रवाई के लिए सम्मानित किया गया। इन कर्मचारियों ने रेल फ्रैक्चर, हॉट एक्सल, लटकते भाग, ओएचई में असामान्यता, ट्रैक में दोष तथा उपकरणों में गड़बड़ी जैसी गंभीर संरक्षा संबंधी कमियों का समय रहते पता लगाया। इनके सामूहिक प्रयासों से पश्चिम रेलवे में उच्च स्तर की संरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान मिला।

पश्चिम रेलवे सभी सम्मानित कर्मचारियों के कर्तव्य के प्रति अनुकरणीय समर्पण एवं सुदृढ़ सुरक्षा चेतना की सराहना करता है। इनके कार्यों से न केवल संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सका, बल्कि सुरक्षित एवं विश्वसनीय रेल परिचालन के प्रति पश्चिम रेलवे की अटूट प्रतिबद्धता भी और सुदृढ़ हुई है। साथ ही, ये कर्मचारी अन्य रेलकर्मियों के लिए प्रेरणास्रोत बने हैं।

अहमदाबाद: थाईलैंड के लालच में फंसाए गए हाइब्रिड गांजा तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, जिसमें 8 करोड़ रुपये मूल्य का माल बरामद हुआ

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत

आजकल भारत में साइबर धोखाधड़ी का जाल इतना व्यापक हो गया है कि यह अनुमान लगाना असंभव है कि कौन कब और कहाँ इसका शिकार होगा। ऐसे मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि गंभीर चिंता का विषय है।सवाल यह उठता है कि आधुनिक तकनीक के इस युग में भी साइबर धोखाधड़ी को क्यों नहीं रोका जा सकता? लोग धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। वे अपनी जीवन भर की कमाई खो देते हैं। "डिजिटल गिरफ्तारी" जैसे मामलों में पीड़ितों को मानसिक यातना भी सहनी पड़ती है। ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के प्रयास में केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय के विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है। समिति ने यह भी कहा है कि अब सीबीआई "डिजिटल गिरफ्तारी" से संबंधित सभी मामलों की जांच करेगी। हालांकि, सरकार का यह कदम तभी कारगर साबित होगा जब साइबर जालसाजों को अपराध करने से पहले ही पकड़ा या रोका जा सके। लेकिन हमारे देश में डिजिटल गिरफ्तारी की घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि और यहां तक कि उच्च शिक्षित लोगों का भी इसमें फंसना चिंता का विषय है।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश में "डिजिटल धोखाधड़ी" की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि सरकार को इससे निपटने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। दरअसल, देश में ऑनलाइन लेनदेन में वृद्धि के साथ-साथ साइबर धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ गए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आम नागरिक, विशेषकर बुजुर्ग, नई तकनीक और ऑनलाइन जोखिमों से अनभिज्ञ हैं। एक छोटी सी गलती से भी धोखेबाज पल भर में लाखों रुपये हड़प सकते हैं। चिंताजनक बात यह है कि साइबर धोखाधड़ी के नए-नए तरीके प्रतिदिन अपनाए जा रहे हैं।

ऐसी स्थिति में, डिजिटल साक्षरता के माध्यम से आम जनता में व्यापक स्तर पर जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। मुद्दा सिर्फ ऐसे मामलों की जांच करना ही नहीं है, बल्कि उन्हें होने से पहले ही रोकना भी है। साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किए बिना, ऐसे मामलों पर पूरी तरह से नियंत्रण पाना संभव नहीं होगा। अब तक सरकार साइबर सुरक्षा के लिए कदम उठा रही है, लेकिन सावधानी बरतने का पूरा भार जनता यानी उपयोगकर्ताओं पर ही है। अब तो हमारे देश में शिक्षित लोग भी इस साइबर धोखाधड़ी के जाल में फंस रहे हैं। तो फिर उन अर्ध-शिक्षित या अशिक्षित लोगों का क्या होगा जिनकी आबादी हमारे देश में बहुत बड़ी है?

सूरत: एमएनपी में भ्रष्टाचार के आरोप, स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त अधिकारियों की एसीबी जांच की मांग

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

ऐसा लग रहा था मानो सूरत नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया हो, उच्च पदों पर आसीन अधिकारी लाभ कमाने के लिए अपने पदों का दुरुपयोग करने में जरा भी संकोच नहीं करते थे, मानो वे सूरत नगर निगम को भ्रष्टों का अड्डा समझते हों, और वे आवेदकों को भुगतान करने के लिए मजबूर करते थे।आवेदकों द्वारा सूरत नगर निगम की सतर्कता शाखा में उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कई लिखित शिकायतें किए जाने के बावजूद, सूरत नगर निगम की सतर्कता शाखा ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। नगर निगम के अधिकारियों की अक्षमता से तंग आकर, आवेदकों ने अब इस मामले को गंभीरता से लिया है और भ्रष्टाचार विरोधी शाखा (एसीबी) से संपर्क करके नगर निगम के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करने का निर्णय लिया है।

अब हमें इस बात पर चर्चा करनी होगी कि अगर एसीबी द्वारा 2020 से अब तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले अधिकारियों की भी जांच की जाए, तो पता चलता है कि इन अधिकारियों ने सूरत शहर के विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ विदेशों में भी संपत्तियां बनाई हैं। इतना ही नहीं, उनके पास करोड़ों रुपये के आलीशान बंगले और फ्लैट हैं, महंगी गाड़ियां हैं और उनके बच्चे भारी फीस देकर विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। इन सभी मामलों की गहन जांच होनी चाहिए। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले अधिकारियों के नाम और पदों सहित ऐसी कई चौंकाने वाली खबरों की विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही प्रकाशित की जाएगी और उनका पर्दाफाश किया जाएगा।

विशेष रूप से यह समय की मांग है कि एसीबी उन अधिकारियों की जांच करे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बार-बार विदेश दौरे किए हैं और उन कारणों की भी जांच करे जिनके कारण उन्होंने अचानक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। साथ ही, यह भी समय की मांग है कि उन अधिकारियों की भी एसीबी द्वारा जांच की जाए जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार किया है और बैंक लॉकरों के साथ-साथ अनुपातहीन संपत्ति जमा की है, कृषि भूमि और फार्म हाउस के मालिक हैं और विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं, और जो सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवानिवृत्त हैं।

मुख्यमंत्री के करकमलों से गुजरात लॉ सोसाइटी (जीएलएस) के शताब्दी वर्ष का भव्य शुभारंभ

- मुख्यमंत्री ने शताब्दी वर्ष अंतर्गत जीएलएस सेंटेनियल लोगो तथा जीएलएस आर्काइव का उद्घाटन किया
- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल
- सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के साथ जीएलएस शताब्दी वर्ष का उत्सव सुंदर समन्वय
- विकसित भारत के लिए भावी पीढ़ी के निर्माणार्थ संस्कार से युक्त शिक्षा आवश्यक
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़ संकल्प एवं विजनरी नेतृत्व के परिणामस्वरूप गुजरात सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का हब बनने की ओर
- जीएलएस शताब्दी वर्ष उत्सव अंतर्गत शैक्षणिक परिषदों, खेल-कूद, सांस्कृतिक महोत्सवों तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के विभिन्न कार्यक्रमों का वर्षभर आयोजन

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को अहमदाबाद में गुजरात लॉ सोसाइटी (जीएलएस) कैम्पस में जीएलएस शताब्दी वर्ष उत्सव का शुभारंभ कराया। इस अवसर पर उन्होंने जीएलएस सेंटेनिलय लोगो तथा जीएलएस आर्काइव का अनावरण किया। जीएलएस आर्काइव में जीएलएस की एक शताब्दी लंबी यात्रा के साक्षी दुर्लभ दस्तावेजों, ऐतिहासिक तसवीरों एवं स्मृतिचिह्नों को प्रदर्शित किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने समारोह को संबोधित करते हुए गुजरात लॉ सोसाइटी को शताब्दी वर्ष में प्रवेश के लिए हार्दिक अभिनंदन दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है और इसके साथ ही जीएलएस का शताब्दी वर्ष मनाया जाना सुंदर समन्वय है।

जीएलएस के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए श्री पटेल ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में युवाओं के बौद्धिक योगदान के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल, श्री गणेश मावळणकर तथा श्री कस्तूरभाई लालभाई जैसे महानुभावों द्वारा स्थापित इस संस्था ने विशिष्ट ख्याति प्राप्त की है। किसी संस्था के 100 वर्ष पूर्ण होना अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण कहलाता है। साथ ही उन्होंने राजनीति सहित लॉ क्षेत्र में कार्यरत संस्था के प्रतिष्ठित एलुमनियों को भी इस अवसर पर याद किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्र निर्माण में शिक्षा को नींव बताए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने जोड़ा कि विकसित भारत के लिए भावी पीढ़ी के निर्माणार्थ संस्कार से युक्त शिक्षा आवश्यक है। मातृभाषा के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए श्री पटेल ने कहा कि मातृभाषा का गौरव हम सबको होना ही चाहिए। अन्य भाषाएँ भी सीखनी व बोलनी चाहिए, लेकिन मातृभाषा तो हमारे दिल में होनी ही चाहिए। गुजरात और गुजराती हमेशा हर भाषा का सहृदय सत्कार करते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजनीति का कलेवर बदला है और विकास की राजनीति अपना कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक कई प्रधानमंत्रियों ने देश में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को विकसित करने के प्रयास किए थे, परंतु किसी को सफलता नहीं मिली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़ संकल्प एवं विजनरी नेतृत्व के परिणामस्वरूप गुजरात सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का हब बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने जन सुख-सुविधा तथा लोक कल्याण के लिए समर्पित राज्य के ऐतिहासिक बजट का भी उल्लेख किया।

शताब्दी वर्ष उत्सव अंतर्गत जीएलएस द्वारा हर महीने अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाने की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी उपस्थितों से कैच द रेन अंतर्गत जल संरक्षण के लिए योगदान देने तथा प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए पाँच प्रणों का अनुकरण कर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का अनुरोध किया।

जीएलएस के कार्यपालक उपाध्यक्ष श्री सुधीर नाणावटी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में गौरवपूर्वक कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल, श्री गणेश मावळणकर तथा श्री कस्तूरभाई लालभाई जैसे महानुभावों द्वारा स्थापित यह शैक्षणिक ट्रस्ट आज एक समृद्ध मल्टीडिसिप्लीनरी यूनिवर्सिटी में परिवर्तित हुआ है। उन्होंने फैकल्टीज, विद्यार्थियों तथा सभी हितधारकों के योगदान की प्रशंसा करते हुए जोड़ा कि संस्था का मुख्य उद्देश्य केवल शिक्षा देना ही नहीं, बल्कि देश के लिए जिम्मेदार एवं राष्ट्रप्रेमी नागरिक तैयार करना भी है।

आरंभ में जीएलएस की कार्यपालक निदेशक डॉ. चांदनी कापडिया ने स्वागत संबोधन में संस्था की 1927 से प्रारंभ हुई असाधारण विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह 100 वर्ष की श्रेष्ठता, संकल्प एवं अविरत सेवा का प्रारंभ है। डॉ. कापडिया ने आगे कहा कि जीएलएस ने सदैव परंपरागत मूल्यों तथा प्रगतिशील विचारधारा का समन्वय साधा है। इस सेंटेनरी वर्ष के दौरान शैक्षणिक परिषदों, खेल-कूद, सांस्कृतिक महोत्सवों तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के विभिन्न कार्यक्रमों का वर्षभर आयोजन किया गया है, जिससे भावी पीढ़ी प्रेरित होगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान जल संचय जन भागीदारी 2.0 का राज्यव्यापी प्रारंभ कराया

- 23 फरवरी से 31 मई तक समग्र राज्य में जल संचय का महाअभियान आयोजित होगा
- जल संग्रह एवं संचय क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य में प्रति तहसील 10 तालाब गहरे करने की मंशा
- मौजूदा तालाबों को गहरा करने, चेकडैम डिसिल्टिंग, नहर-नालियों की मरम्मत, साफ-सफाई, रखरखाव तथा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग जैसे कार्य राज्य सरकार के लगभग 6 विभागों द्वारा जन भागीदारी से किए जाएंगे
- सुजलाम सुफलाम जल अभियान अंतर्गत 8 वर्षों में 1,22,299 कार्यों से जल संग्रह क्षमता में 1,39,959 लाख घन फीट वृद्धि हुई है
- 210 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जल संचय तथा जल संग्रह के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किए गए 'कैच द रेन' आह्वान को साकार करने के लिए गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल अभियान-जल संचय जन भागीदारी 2.0 का सोमवार को राज्यव्यापी प्रारंभ कराया है।

जल संचय तथा जल संग्रह का यह महाअभियान आगामी 31 मई, 2026 तक आयोजित होगा। अभियान अंतर्गत प्रति तहसील 10 तालाबों को गहरा करने सहित जल संग्रह की व्यवस्थाएँ सुदृढ़ करके भूमिगत जल स्तर ऊँचा लाने और वर्षा जल संग्रह के कार्य किए जाएंगे।

इस उद्देश्य से राज्य सरकार के जल संसाधन, जलापूर्ति, सरदार सरोवर नर्मदा निगम, ग्रामीण विकास, वन एवं पर्यारण, शहरी विकास सहित लगभग 6 विभाग सभी जिलों में लोक भागीदारी से जल संचय के कार्य शुरू करेंगे।

ऐसे कार्यों में मौजूदा तालाबों को गहरा करने, मौजूदा चेकडैमों, जलाशयों व नदियों की डिसिल्टिंग, क्षतिग्रस्त चेकडैमों की मरम्मत, नहर-नालियों की मरम्मत, रखरखाव, साफ-सफाई, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, खेत तालाब, मिट्टी पाल, टैरेस-वन तालाब, पेयजल स्रोत, टंकी, संप, इंटेक स्ट्रक्चर तथा आसपास की सफाई, तालाबों के वेस्ट वियर की मरम्मत, नदियों की धारा को अवरुद्ध करने वाली बबूल आदि की झाड़ियों को हटाने जैसे कार्य शामिल किए गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस वर्ष के सुजलाम सुफलाम जल अभियान-जल संचय जन भागीदारी 2.0 का शुभारंभ गांधीनगर जिले के भाट गाँव के तालाब को गहरा करने के कार्य से कराया। यह तालाब गहरा होने से इसकी कुल संग्रह क्षमता भविष्य में 2.01 लाख घन फीट होगी।

राज्य सरकार द्वारा 2018 से हर वर्ष यह महत्वपूर्ण अभियान एक आंदोलन के रूप में चलाया जाता है। 2018 से 2025 के 8 वर्ष के दौरान जो 1,22,299 कार्य किए गए हैं। इनमें तालाबों को गहरा करने, नए तालाबों के 39,542 कार्य, चेकडैम डिसिल्टिंग के 26,544 कार्य तथा तथा 82,240 किलोमीटर लंबी नहरों व नालियों की साफ-सफाई के कार्य हुए हैं।

इन सारे कार्यों के परिणामस्वरूप राज्य की जल संग्रह क्षमता में कुल लगभग 1,39,959 लाख घन फीट वृद्धि हुई है और 210 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा गांधीनगर के भाट गाँव से वर्ष 2026 के लिए सुजलाम सुफलाम जल अभियान-जल संचय जन भागीदारी 2.0 की शुरुआत कराए जाने के अवसर पर जल संसाधन एवं जलापूर्ति राज्य मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल, सांसद श्री हसमुखभाई पटेल, विधायक श्री अल्पेशभाई ठाकोर व श्रीमती रीटाबेन पटेल, गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, मनपा स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री गौरांगभाई, शहर भाजपा अध्यक्ष श्री आशिष दवे, जल संसाधन सचिव श्री पी. सी. व्यास, अपर सचिव श्री एम. डी. पटेल तथा गांधीनगर महानगर पालिका आयुक्त श्री जे. एन. वाघेला, वरिष्ठ अधिकारी एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपादजी की गुजराती में प्रकाशित जीवनी 'विश्वगुरु श्रील प्रभुपाद' का अनावरण

अक्षयपात्र द्वारा प्रतिदिन गुजरात के 5 लाख सहित देशभर के 23.5 लाख बच्चों को पष्टिक भोजन परोसा जाता है : हरे कृष्ण मूवमेंट के वाइस चेयरमैन श्री चंचलापति दास

(जीएनएस)। गांधीनगर : भारतीय अध्यात्म एवं वैदिक ज्ञान को विश्व पटल पर गुंजायमान करने वाले अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ (इस्कॉन) के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपादजी के प्रेरणादायी जीवन चरित्र पर गुजराती में प्रकाशित पुस्तक 'विश्वगुरु श्रील प्रभुपाद' का भव्य अनावरण समारोह सोमवार को गांधीनगर में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से इस पुस्तक का अनावरण किया गया।

यह पुस्तक देश के 'आध्यात्मिक राजदूत' श्रील प्रभुपादजी के असाधारण संघर्ष, उनकी वैश्विक आध्यात्मिक यात्रा तथा विश्वभर में भारतीय संस्कृति के प्रसार में उनके अमूल्य योगदान को उजागर करती है। श्रील प्रभुपादजी के जीवन चरित्र पर आधारित इस पुस्तक के अनावरण अवसर पर अभिनंदन देते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि श्रील प्रभुपादजी की यात्रा संघर्षों से भरी हुई थी, परंतु श्री कृष्ण पर उनके अटूट विश्वास ने उन्हें अपार सफलता दिलाई। आम आदमी जब मुश्किल में हार जाता है, तब भगवद् गीता के संदेश के माध्यम से मिला दृढ़ विश्वास ही जीवन का सच्चा मार्ग बताता है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि श्रील प्रभुपादजी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सिक्का एवं पोस्टल स्टाम्प जारी कर प्रभुपादजी के वैश्विक प्रभाव को सम्मानित किया गया था।

इस पुस्तक की लेखिका डॉ. उषाबेन उपाध्याय को अभिनंदन देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. उषाबेन ने श्रील प्रभुपादजी के जीवन चरित्र का गुजराती में वर्णन कर राज्य की जनता तक उनके प्रभावशाली विचारों को पहुँचाने का भगीरथ कार्य किया है।

श्रीमद् भगवद् गीता में दिए गए संदेश के विषय में वर्णन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्कृष्ट व्यावहारिक जीवन जीने के लिए गीता की महिमा अनिवार्य है। श्री कृष्ण के जीवन प्रसंगों द्वारा समझाया गया कि अधर्म का नाश निश्चित है। हमारे लिए केवल धीरज एवं आंतरिक शांति बनाए रखना जरूरी है। श्री राम के आचरण तथा श्री कृष्ण के वचनों को जीवन में उतार कर मोक्ष की ओर मार्ग सरल बनता है।

उन्होंने कहा कि इस्कॉन द्वारा विश्वभर में

भौतिकता के पीछे दौड़ने वाले नागरिकों को अध्यात्म की ओर मोड़ने का जो कार्य हुआ है, वह अद्भुत है। विदेशी भक्त जिस प्रकार सर्वस्व त्यागकर कृष्ण भक्ति में लीन होते हैं, वह उनके संपूर्ण समर्पण का प्रमाण है। यह पुस्तक गुजरात के युवाओं से लेकर प्रत्येक पीढ़ी के लिए वरदानस्वरूप सिद्ध होगी। इस प्रकार; मुख्यमंत्री ने श्रील प्रभुपादजी के विरल व्यक्तित्व एवं विश्वभर में कृष्ण भक्ति के प्रसार में उनके योगदान की प्रशंसा की।

ग्लोबल हरे कृष्ण मूवमेंट के को-मेंटोर तथा वाइस चेयरमैन श्री चंचलापति दास ने श्रील प्रभुपादजी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्रील प्रभुपाद ने 70 वर्ष की

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- आम आदमी जब मुश्किलों में हार जाता है, तब भगवद् गीता ही जीवन का सच्चा मार्ग बताती है
- श्रील प्रभुपादजी की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सिक्का तथा पोस्टल स्टाम्प जारी कर प्रभुपादजी के वैश्विक प्रभाव को किया गया सम्मानित
- यह पुस्तक गुजरात के युवाओं से लेकर हर पीढ़ी के लिए वरदानस्वरूप सिद्ध होगी

आयु केवल 40 रुपए के साथ कारगो जहाज में अमेरिका जाकर हरे कृष्ण मंत्र को विश्वव्यापी बनाया। समुद्री यात्रा के दौरान दो बार हृदयाघात सहन करने के बावजूद वे गुरु की आज्ञा का पालन करने में दृढ़ रहे। उनके प्रयासों से ही विश्वभर में 108 से अधिक कृष्ण मंदिरों की स्थापना हुई है।

इस अवसर पर श्री दास ने अक्षयपात्र के सेवायज्ञ कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन तथा अक्षयपात्र फाउंडेशन के संयुक्त प्रयासों का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में वर्ष 2007 में मुख्यमंत्री के रूप में इस्कॉन को गुजरात में सेवा करने के लिए निमंत्रण दिया था और गांधीनगर में एक साधारण शेड में अक्षयपात्र के रसोई घर का उद्घाटन कर अपने करकमलों से बच्चों को भोजन परोसकर इस सेवायज्ञ का प्रारंभ कराया था।

श्री चंचलापति दास ने कहा कि आज अक्षयपात्र गुजरात के 5 स्थानों पर प्रतिदिन 5 लाख बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करता है। समग्र भारत में यह आँकड़ा 23.5 लाख बच्चों तक पहुँचा है। उन्होने आशा व्यक्त की कि इस पुस्तक द्वारा गुजरात के नागरिक श्रील प्रभुपाद के संघर्षमय जीवन तथा भक्ति मार्ग के अधिक निकट आएंगे।

इस पुस्तक की लेखिका डॉ. उषाबेन उपाध्याय ने कहा कि श्रील प्रभुपाद का जीवन अप्रतिम साहस, धैर्य एवं मानव जाति के प्रति असीम करुणा का जीवंत उदाहरण है। श्रील प्रभुपाद ने 69 वर्ष की वयोवृद्ध आयु में पश्चिम की भौतिकवादी संस्कृति में कृष्ण भक्ति के बीज रोपे थे। उन्होंने केवल धर्म का प्रचार ही नहीं किया, बल्कि व्यसनों में डूबे युवाओं को वैदिक संस्कारों के माध्यम से एक नैतिक समाज की रचना की थी। विश्वभर में 108 मंदिर की स्थापना तथा रूस या अफ्रीका जैसे विषम भौगोलिक वं राजनीतिक क्षेत्रों में भी 'हरे कृष्ण' महामंत्र गुजायमान करना उनकी अकल्पनीय उपलब्धि है।

डॉ. उपाध्याय ने कहा कि श्रील प्रभुपाद ने केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि अक्षयपात्र जैसी सेवा द्वारा भूखों को भोजन कराकर मानवता का सच्चा धर्म सिखाया है। आज जब भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है, तब श्रील प्रभुपाद ने दशकों पूर्व ही एक 'आध्यात्मिक राजदूत' के रूप में भारत की सनातन संस्कृति को विश्वभर में विख्यात किया था।

हरे कृष्ण मूवमेंट, अहमदाबाद द्वारा आयोजित इस पुस्तक अनावरण समारोह में शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा, मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, इस्कॉन हरे कृष्ण मंदिर, अहमदाबाद के अध्यक्ष श्री जगन्मोहन कृष्ण दास, साहित्यकार श्री भाग्येश झा सहित विद्वान, शिक्षाविद् तथा महानुभाव बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

मंडल रेल प्रबंधक द्वारा पोरबंदर रेलवे स्टेशन एवं संबंधित रेल खंड का व्यापक निरीक्षण

(जीएनएस)। दिनांक 21 फरवरी, 2026 (शनिवार) को मंडल रेल प्रबंधक, भावनगर मंडल श्री दिनेश वर्मा द्वारा पोरबंदर रेलवे स्टेशन एवं संबंधित रेल खंड का विस्तृत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने धोला, जेतलसर जंक्शन, धोराजी, उपलेटा, जाम जोधपुर, राणावाव तथा पोरबंदर रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण कर रेल परिचालन, संरक्षा व्यवस्था एवं यात्री सुविधाओं का गहन अवलोकन किया।

निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने पोरबंदर यार्ड में प्रगति पर चल रहे यार्ड रीमॉडलिंग कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों एवं संरक्षा नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा के भीतर शीघ्र पूर्ण किए जाएं, जिससे रेल परिचालन क्षमता में वृद्धि हो तथा यात्रियों को बेहतर एवं सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इस अवसर पर पोरबंदर रेलवे

स्टेशन पर नवनिर्मित अधिकारियों के विश्राम गृह (ORH — Officers' Rest House) का उद्घाटन भी मंडल रेल प्रबंधक द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं के विकास से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण प्राप्त होगा, जिससे रेल सेवाओं की गुणवत्ता एवं कार्य दक्षता में सकारात्मक सुधार होगा।

निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मंडल रेल प्रबंधक द्वारा जेतलसर जंक्शन से पोरबंदर के मध्य स्थित स्टेशनों का विशेष संरक्षा निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान ट्रैक संरचना, सिग्नलिंग प्रणाली, प्लेटफॉर्म व्यवस्था, यात्री सुविधाओं एवं सुरक्षा प्रबंधों की विस्तृत समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

भावनगर टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान एवं व्यसन मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल अंतर्गत आने वाले भावनगर टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर दिनांक 22 फरवरी, 2026 (रविवार) को समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से स्वच्छता अभियान एवं व्यसन मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य रेलवे परिसर में स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा यात्रियों एवं आमजन को नशामुक्त जीवन के प्रति जागरूक करना था।

स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सन्त निरंकारी मंडल, भावनगर (गुजरात) के लगभग 70 सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता निभाते हुए स्टेशन परिसर एवं पार्किंग क्षेत्र में विशेष साफ-सफाई

अभियान चलाया। इस अवसर पर सन्त निरंकारी मंडल, भावनगर के प्रमुख श्री दामोदर भाई की गरिमामयी उपस्थिति रही। स्वयंसेवकों द्वारा रेलवे परिसर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने का संदेश भी दिया गया। इसके अतिरिक्त भावनगर शहर स्थित स्वामीनारायण मंदिर से जुड़े स्वयंसेवी स्कूली बच्चों ने समाजसेवी गतिविधियों में भाग लेते हुए रेलवे कर्मचारियों एवं रेल यात्रियों को व्यसन मुक्ति का संदेश दिया। बच्चों द्वारा नशा न करने हेतु लोगों को शपथ दिलाकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा दी गई, जिसकी सभी उपस्थितजनों ने सराहना की। कार्यक्रम के दौरान भावनगर रेलवे मंडल की ओर से वाणिज्य विभाग के अधिकारी एवं निरीक्षक उपस्थित रहे। पश्चिम रेलवे भावनगर मंडल द्वारा समाजसेवी संस्थाओं एवं विद्यार्थियों के इस सराहनीय सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे जनजागरूकता एवं स्वच्छता अभियानों को निरंतर प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

सोना वायदा में 2817 रुपये और चांदी वायदा में 12190 रुपये का ऊछाल: क्रूड ऑयल वायदा 21 रुपये फिसला

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 162253.42 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 26485.12 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 135764.25 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 39784 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2027.1 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 21459.88 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 158458 रुपये के भाव पर खूलकर, 160600 रुपये के दिन के उच्च और 158117 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 156876 रुपये के पिछले बंद के सामने 2817 रुपये या 1.8 फीसदी की बढ़त के साथ 159693 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 1326 रुपये या 1.05 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 127978 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 228 रुपये या 1.43 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 16140 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी मार्च वायदा 155770 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 157936 रुपये और नीचे में 155770 रुपये पर पहुंचकर, 2852 रुपये या 1.84 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 157455 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 157627 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 158985 रुपये और नीचे में 156736 रुपये पर पहुंचकर, 155553 रुपये के पिछले बंद के सामने 2035 रुपये या 1.31 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 157588 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 263061 रुपये के भाव पर खूलकर, 268875 रुपये के दिन के उच्च और 260028 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 252944 रुपये के पिछले बंद के सामने 12190 रुपये या 4.82 फीसदी की तेजी के संग 265134 रुपये प्रति किलो हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 12439 रुपये या 4.89 फीसदी की तेजी के संग 266920 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 11698 रुपये या 4.6 फीसदी की मजबूती के साथ 265899 रुपये प्रति किलो बोला गया।

मेटल वर्ग में 3361.41 करोड़ रुपये

- कमोडिटी वायदाओं में 26485.12 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 135764.25 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 21459.88 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 39784 पॉइंट के स्तर पर

के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 2.9 रुपये या 0.25 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 1171.05 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 1.6 रुपये या 0.49 फीसदी की तेजी के संग 327.9 रुपये प्रति किलो हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 90 पैसे या 0.29 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 308.15 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 10 पैसे या 0.05 फीसदी की नरमी के साथ 187.65 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 1570.89 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मार्च वायदा 6093 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 6093 रुपये और नीचे में 5960 रुपये पर पहुंचकर, 21 रुपये या 0.35 फीसदी औंधकर 6036 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मार्च वायदा 18 रुपये या 0.3 फीसदी की गिरावट के साथ 6036 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 287.2 रुपये के भाव पर खूलकर, 289.9 रुपये के दिन के उच्च और 281.2 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 282.2 रुपये के पिछले बंद के सामने 1 रुपये या 0.35 फीसदी की तेजी के संग 283.2 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा 50 पैसे या 0.18 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 283.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा 956 रुपये पर खूलकर, 3.6 रुपये या 0.38 फीसदी घटकर 952 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 11183.07 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 10276.81 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2730.19 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 203.30 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 26.25 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 393.63 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 543.19 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 996.64 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 4.23 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.57 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 8843 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 68751 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 33221 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 424361 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 63626 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 10408 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 16611 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 60784 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17092 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 22602 लोट के स्तर पर था। इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 39885 पॉइंट पर खूलकर, 39905 के उच्च और 39570 के नीचले स्तर को छूकर, 1041 पॉइंट बढ़कर 39784 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मार्च 6000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 11.8 रुपये की गिरावट के साथ 367.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.1 रुपये की बढ़त के साथ 21.35 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 170000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 95 रुपये की बढ़त के साथ 382 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 106.5 रुपये की बढ़त के साथ 453 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2.34 रुपये की बढ़त के साथ 17.69 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 372.5 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 33 पैसे की नरमी के साथ 0.79 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मार्च 6000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 10 पैसे के सुधार के साथ 324.8 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 5 पैसे की नरमी के साथ 23.1 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 339 रुपये की गिरावट के साथ 292 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 240000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1941.5 रुपये की गिरावट के साथ 545 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2.34 रुपये की गिरावट के साथ 11.17 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3 पैसे के सुधार के साथ 6.99 रुपये हुआ।

गुजरात में भारतीय रेलवे के रिकॉर्ड निवेश से अवसंरचना विकास को नई रफ्तार

17,366 करोड़ का ऐतिहासिक आवंटन: कनेक्टिविटी और सुरक्षा का होगा विस्तार,सुरक्षा, बुलेट ट्रेन और आधुनिक स्टेशनों से राज्य में रेल परिवहन का नया युग

(जीएनएस)। भारतीय रेलवे ने गुजरात में रिकॉर्ड बजटीय आवंटन और तीव्र अवसंरचना विकास के माध्यम से रेल परिवहन के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 17,366 करोड़ के ऐतिहासिक बजट आवंटन के साथ राज्य में आधुनिक, सुरक्षित और यात्री-केंद्रित रेल नेटवर्क के विकास को अभूतपूर्व गति मिली है। वर्ष 2009–14 के दौरान गुजरात के लिए औसत वार्षिक रेल बजट आवंटन 589 करोड़ था, जो वर्ष 2026–27 में बढ़कर 17,366 करोड़ हो गया है। यह लगभग 29 गुना वृद्धि राज्य में कनेक्टिविटी, क्षमता विस्तार और रेल अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

- गुजरात में वर्तमान में 1,28,748 करोड़ की लागत से रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं प्रगति पर हैं। इनमें नई रेल लाइनों का निर्माण, स्टेशनों का पुनर्विकास तथा प्रमुख सुरक्षा उन्नयन शामिल हैं, जो दीर्घकालिक क्षमता वृद्धि और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करेंगे।
- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पंजाब को

जोड़ता है। सूरत में पूर्वी और पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा तथा वहां एक महत्वपूर्ण जंक्शन विकसित किया जाएगा।

- यह पूर्व–पश्चिम कॉरिडोर गुजरात के पश्चिमी तट के बंदरगाहों को देश के विभिन्न राज्यों से जोड़ेगा। इसके माध्यम से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को भी बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त होगी।
- गुजरात ने 100% रेल विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। राज्य में 87 स्टेशनों पर निर्माण कार्य जारी है। अहमदाबाद–मुंबई हाई-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) परियोजना तीव्र गति से प्रगति कर रही है। दूसरी सुरंग की ब्रेकथ्रू प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण होगी तथा व्यावसायिक संचालन अगले वर्ष प्रारंभ करने का लक्ष्य निर्धारित है। प्रधानमंत्री के सतत मार्गदर्शन और नियमित समीक्षा के अंतर्गत टीम निरंतर कार्यरत है।
- बुलेट ट्रेन परियोजना देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें आधुनिक निर्माण तकनीक, उन्नत प्रौद्योगिकी और विशेष ट्रैक प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है।
- अमृत स्टेशन योजना के तहत गुजरात के 87 रेलवे स्टेशनों को 6,058 करोड़ की लागत से व्यापक पुनर्विकास हेतु चिन्हित किया गया है। इनमें से 19 स्टेशनों- सामाख्याली, डाकोर, हापा, जाम जोधपुर, मोरबी, ओखा, पालीताना और पोरबंदर सहित का पुनर्विकास कार्य पूर्ण हो चुका है। इससे यात्री सुविधाओं और स्टेशनों की सौंदर्यात्मक गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- आधुनिक ट्रेन सेवाओं की शुरुआत से गुजरात में यात्रियों की सुविधा और यात्रा दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में राज्य में संचालित हैं:
- 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें
- 1 अमृत भारत एक्सप्रेस
- 1 नमो भारत एक्सप्रेस
- ये सेवाएं यात्रियों को तेज़, सुरक्षित और अधिक आरामदायक यात्रा विकल्प प्रदान कर रही हैं।
- वर्ष 2014 के बाद से गुजरात के रेलवे नेटवर्क का तीव्र विस्तार हुआ है। लगभग 2,900 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बिछाई गई हैं, जो कई यूरोपीय देशों के कुल रेल नेटवर्क से अधिक है। राज्य में 4,005 किलोमीटर रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण पूर्ण हो चुका है, जिससे हरित और ऊर्जा-कुशल संचालन सुनिश्चित हुआ है।
- इसके अतिरिक्त, लेवल क्रॉसिंग समाप्त करने के उद्देश्य से 1,177 फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए हैं, जिससे सुरक्षा में वृद्धि और सड़क-रेल यातायात में सुगमता आई है।
- रेल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भारतीय रेलवे गुजरात में स्वदेशी 'कवच' ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लागू कर रहा है। स्वीकृत 1,842 रूट किलोमीटर में से 96 रूट किलोमीटर पर 'कवच' स्थापित किया जा चुका है, जबकि 1,674 रूट किलोमीटर पर कार्य प्रगति पर है। यह रेल सुरक्षा मानकों में महत्वपूर्ण उन्नति को दर्शाता है।

रिकॉर्ड निवेश, आधुनिक स्टेशन, प्रीमियम ट्रेन सेवाएं, पूर्ण विद्युतीकरण और उन्नत सुरक्षा प्रणालियों के साथ भारतीय रेलवे गुजरात के अवसंरचना विकास और समग्र सामाजिक-आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने अहमदाबाद मंडल के दो कर्मचारियों को संरक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक (प्रभारी) श्री प्रदीप कुमार ने पश्चिम रेलवे मुख्यालय, मुंबई में आयोजित समारोह में अहमदाबाद मंडल के दो कर्मचारियों को रेल संरक्षा में उत्कृष्ट कार्य, सतर्कता एवं सुरक्षित ट्रेन संचालन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए "मैन ऑफ द मंथ" (जनवरी–2025) संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया। इन कर्मचारियों की सजगता एवं त्वरित कार्रवाई से संभावित दुर्घटनाएँ टलीं तथा रेल संपत्ति और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित हुई।

श्री रवि प्रकाश शर्मा, पॉइंट्समैन – कटोसन रोड

दिनांक 19.01.2026 को श्री रवि प्रकाश शर्मा, पॉइंट्समैन कटोसन रोड स्टेशन पर एल.सी. संख्या 29 पर ड्यूटी पर कार्यरत थे। गाड़ी संख्या IFFCO/MB एल.सी. संख्या 29 से गुजर रही थी। 'ऑल राइट' सिग्नल मिलाते समय उन्होंने देखा कि ब्रेकवान से नौवें वैगन में एक हैंगिंग पार्ट बाहर लटका हुआ है। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने तत्काल खतरे का लाल संकेत प्रदर्शित किया तथा ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर को सूचित किया। स्टेशन मास्टर ने लोको पायलट से संपर्क कर गाड़ी को पुनः कटोसन रोड स्टेशन पर रुकवाया। जांच के दौरान वैगन में हैंगिंग पार्ट पाया गया, जिसे सुरक्षित रूप से बांध दिया गया। इसके उपरांत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की गई।

श्री चंद्रपाल सिंह, टेक्नीशियन ग्रेड-II, टीआरडी डिपो – महेसाणा

दिनांक 10.01.2026 को श्री चंद्रपाल सिंह, टेक्नीशियन ग्रेड-II, टीआरडी डिपो महेसाना द्वारा आंबलियासन–जगुदन खंड के मध्य ओएचई सेक्शन की फुट पेट्रोलिंग के दौरान कैटेनरी वायर ड्रॉपर क्लिप का बोल्ट ढीला पाया गया, जो किसी भी समय खुल सकता था। यदि समय रहते इस दोष की पहचान नहीं की जाती, तो पैंटोग्राफ के उलझने से ओएचई में गंभीर खराबी उत्पन्न हो सकती थी, जिससे रेल यातायात बाधित होने के साथ-साथ गंभीर सुरक्षा जोखिम भी उत्पन्न हो सकता था। श्री चंद्रपाल सिंह द्वारा समय पर दोष की पहचान एवं सुधारात्मक कार्रवाई से एक बड़ी तकनीकी खराबी एवं संभावित दुर्घटना को टाल दिया गया। पश्चिम रेलवे को अपने ऐसे कर्तव्यनिष्ठ एवं सजग कर्मचारियों पर गर्व है, जो यात्रियों की सुरक्षा एवं रेल संचालन की विश्वसनीयता बनाए रखने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। ऐसे सराहनीय प्रयास रेलवे में संरक्षा संस्कृति को और अधिक सुदृढ़ करते हैं।